e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
स0सं0:- 01/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे-13/2024 12772

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
-सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।
सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक :- 17/07/2024

विषयः- राज्य के सभी अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आप अवगत है कि भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश संख्या-177 दिनांक-11.01.2024 के आलोक में राज्य के सभी अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ किया जाना है। इस सम्बन्ध में कार्य प्रारंभ करने के लिए नवनियोजित 9888 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को दिनांक-03.07.2024 को राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा एवं जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री द्वारा नियोजन पत्र वितरित किया जा चुका है। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी 01 वर्ष में इस कार्य समाप्त करने का निदेश दिया गया है।

उक्त के आलोक में कहना है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के लिए नवनियोजित 9888 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का राज्य एवं जिलास्तरीय प्रशिक्षण देने का कार्य प्रगति पर है एवं बैचवार प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त प्रत्येक अंचल में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ किया जाना है। इस क्रम में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त शिविर की स्थापना एवं उनमें उपलब्ध कराये जाने से उपस्कर एवं सुविधाओं के लिए निम्नांकित कार्रवाई की जाएगीः-

(i) जिन अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त शिविर की स्थापना हेतु भवन का चयन अब तक नहीं किया गया है, वहाँ अंचल स्थित आधुनिक अभिलेखागार भवन के भूतल (Ground Floor) पर विशेष सर्वेक्षण शिविर की स्थापना की जाएगी।

(ii) विशेष सर्वेक्षण शिविरों में वर्त्तमान में फर्नीचर, उपस्करों इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूर्व से आधुनिक अभिलेखागार में आपूर्ति की गई सामग्री में से 02 कम्प्यूटर, 02 प्रिंटर, 02 रैक, 02 टेबुल, 02 कम्प्यूटर टेबुल, 02 कम्प्यूटर कुर्सी, 04 सामान्य कुर्सी एवं 02 आलमीरा संबंधित अंचल अधिकारियों द्वारा बन्दोबस्त पदाधिकारी के माध्यम से शिविर प्रभारी को हस्तगत कराया जाएगा।

(iii) राज्य के 89 अंचलों में पूर्व से एक या अधिक विशेष सर्वेक्षण शिविर स्थापित हैं, वहाँ एक से अधिक शिविर कार्यालय की सामग्री यथा-कुर्सी, टेबुल, बक्सा इत्यादि को उसी जिले के अन्य अंचलों में स्थापित होने वाले अंचलस्तरीय शिविर को उपलब्ध करा दिया जाएगा एवं शिविर सम्बन्धी दस्तावेजों इत्यादि को अंचलस्तरीय शिविर में बक्सा/ट्रंक में सुरक्षित रखा जाएगा।

(iv) सभी विशेष सर्वेक्षण शिविर/आधुनिक अभिलेखागार में पूर्व से उपलब्ध बिजली, पानी, शौचालय इत्यादि से सम्बन्धित व्यवस्था की जॉच कर उनके रख–रखाव हेतु भवन निर्माण विभाग को निदेशित किया जाए।

(v) अंचल स्तर पर गठित होने वाले विशेष सर्वेक्षण शिविरों के लिए आवश्यक उपस्कर यथा–कुर्सी, टेबुल इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक–12770 दिनांक–17.07.2024 द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

(vi) विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य करने के लिए प्रथम चरण में विशेष सर्वेक्षण अमीनों को उपस्कर यथा–टेप, गुनिया, स्केल, तख्ती तिपाई इत्यादि उपलब्ध कराया गया था। वर्त्तमान में नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण अमीनों को क्षेत्रीय कार्य करने हेतु उपस्कर इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक–12769 दिनांक–17.07.2024 द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

अंचल स्तर पर विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त शिविर की स्थापना होने के पश्चात विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के कार्य को ससमय पूरा करने के लिए निम्नांकित बिन्दुओं के अनुरूप कार्रवाई करते हुए अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगाः–

(i) नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के पूर्व सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को अंचल एवं ग्राम के साथ R2R सॉफ्टवेयर के माध्यम से बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा सम्बद्ध किया जाएगा। यदि किसी कर्मी को R2R सॉफ्टवेयर के माध्यम से अंचल/ग्राम टैग नहीं किया जाता है तो उस कर्मी द्वारा भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में किये गये कार्यों की प्रविष्टि नहीं की जा सकेगी। विशेष सर्वेक्षण अमीन को ग्राम आवंटित करते समय इस तथ्य का ध्यान अवश्य रखा जाएगा कि जिन ग्रामों में जमाबंदी की संख्या कम है, उन्हें प्रारंभ में आवंटित किया जाय एवं तत्पश्चात क्रमानुसार बड़े ग्राम आवंटित किये जाए **(जमाबंदी के आधार पर ग्रामों के वर्गीकरण के सूची की सॉफ्ट प्रति संलग्न)।**

(ii) विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य को ससमय पूरा करने के लिए निर्धारित कैलेन्डर के अनुरूप प्रक्रमवार किए जाने वाले कार्यों को पूर्ण करने हेतु लक्ष्य निर्धारित कर **साप्ताहिक अनुश्रवण (निर्धारित कैलेन्डर संलग्न)। Annexure-A**

(iii) बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से जिलों के प्रत्येक ग्राम में विशेष सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 के नियम–4 के आलोक में **प्रपत्र–1 में ग्रामवार उद्घोषणा** का प्रकाशन एवं इसका **व्यापक प्रचार–प्रसार (प्रपत्र–1 की प्रति संलग्न)। Annexure-B**

(iv) प्रपत्र–1 में उद्घोषणा उपरान्त प्रत्येक ग्राम के लिए ग्राम अभिलेख संधारित कर, ग्राम अभिलेख में उद्घोषणा का उल्लेख करते हुए उसके पश्चात प्रत्येक प्रक्रम में किये जाने वाले कार्यों का भी ग्राम अभिलेख में प्रविष्टि **(ग्राम अभिलेख का प्रारूप संलग्न)। Annexure-C**

(v) जिलास्तरीय उद्घोषणा उपरान्त बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम की धारा–6(2) एवं नियमावली के नियम–9 (ग) के आलोक में प्रत्येक ग्राम में **ग्राम सभा** का आयोजन सुनिश्चित किया जाना।

(vi) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम की धारा–5 एवं नियमावली के नियम–6 के आलोक में रैयतों से प्रपत्र–2 में स्वघोषणा एवं प्रपत्र–3 (i) में वंशावली प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन माध्यम से स्वघोषणा एवं वंशावली की प्राप्ति के लिए **जिला स्तर पर होर्डिंग, सोशल मिडिया, माईकिंग** इत्यादि के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाना।

(vii) अंचल स्तर से सरकारी भूमि की विवरणी, जमाबंदी पंजी इत्यादि को शिविर कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना।

(viii) प्रत्येक जिले में सभी सरकारी विभागों के लिए प्रत्येक विभाग में जिला स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाएगा, जिसके द्वारा अपने संबंधित विभाग की समस्त भूमि की विवरणी संबंधित शिविर को विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायी जाएगी **(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक–759 दिनांक–16.05.2019 एवं पत्रांक–11089 दिनांक–27.10.2020 की प्रति संलग्न)। Annexure-D**

(ix) चयनित राजस्व एवं उसके सन्निकट ग्रामों का अमीन अपने–अपने ग्राम की साझा मिलान सीमा पर एक साथ किसी भी बिन्दु से कार्य प्रारंभ कर त्रिसीमाना का निर्धारण एवं सत्यापन।

उपरोक्त निर्धारित किये गये कार्यों को पूर्ण करने के लिए **Annexure-A** में निर्धारित समय–सीमा का अनुपालन किया जाय।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम को ससमय पूरा करने के लिए अपने–अपने जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य ससमय प्रारंभ कर उसका सतत् अनुश्रवण करना सुनिश्चित किया जाय।

**अनुलग्नक–यथोक्त।**

विश्वासभाजन

Sd/- 17/7/24

(जय सिंह)
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे–13/2024** 12772 **पटना, दिनांक :** 17/07/2024

**प्रतिलिपि :** सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 17/7/24

**सचिव,**
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक : 01/भू0अ0नि0 (6) विशेष सर्वे–13/2024** 12772 **पटना, दिनांक :** 17/07/2024

**प्रतिलिपि :** सभी अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sd/- 17/7/24

**सचिव,**
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक : 01/भू०अ०नि० (6) विशेष सर्वे–13/2024**..12772.............**पटना, दिनांक** :17/07/2024

**प्रतिलिपि** : सभी प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/7/24

**सचिव,**
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक : 01/भू०अ०नि० (6) विशेष सर्वे–13/2024**..12772.............**पटना, दिनांक**:17/07/2024

**प्रतिलिपि** : उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/सहायक निदेशक/विशेष कार्य पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप/प्रशाखा पदाधिकारी/निदेशालय में पदस्थापित संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग/प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**सचिव,** 17/7/24
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक : 01/भू०अ०नि० (6) विशेष सर्वे–13/2024**..12772.............**पटना, दिनांक**:17/07/2024

**प्रतिलिपि** : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

**सचिव,** 17/7/24
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक : 01/भू०अ०नि० (6) विशेष सर्वे–13/2024**..12772.............**पटना, दिनांक**:17/07/2024

**प्रतिलिपि** : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

**सचिव,** 17/7/24
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक : 01/भू०अ०नि० (6) विशेष सर्वे–13/2024**..12772.............**पटना, दिनांक**:17/07/2024

**प्रतिलिपि** : मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

**सचिव,** 17/7/24
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

**ज्ञापांक : 01/भू०अ०नि० (6) विशेष सर्वे–13/2024**..12772.............**पटना, दिनांक**:17/07/2024

**प्रतिलिपि** : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

**सचिव,** 17/7/24
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

**Annexure-A**

**विशेष सर्वेक्षण संचालित 89 अंचलों को छोड़कर राज्य के शेष सभी अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य एवं संबंधित विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने संबंधित प्रस्तावित तिथिवार कैलेन्डर**

| महत्त्वपूर्ण चरण | | कार्य | कार्य पूर्ण करने की प्रस्तावित समय–सीमा |
|---|---|---|---|
| नियुक्ति, योगदान एवं प्रशिक्षण | 1 | नवनियोजित कर्मियों को नियुक्ति पत्र का वितरण | 03 जुलाई 2024 |
| | 2 | विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का जिलास्तरीय प्रशिक्षण | 11 जुलाई 2024 से प्रारंभ |
| | 3 | वि0सर्वे0 स0ब0प0 का राज्यस्तरीय प्रशिक्षण। | 11 जुलाई 2024 से प्रारंभ |
| | 4 | वि0सर्वे0 कानूनगो का राज्यस्तरीय प्रशिक्षण। | 11 जुलाई 2024 से प्रारंभ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| सर्वेक्षण पूर्व कार्य | 5 | प्रपत्र–1 में ग्रामवार उद्घोषणा | 01 से 07 अगस्त 2024 |
| | 6 | ग्राम अभिलेख का संधारण | 08 से 15 अगस्त 2024 |
| | 7 | खतियानी विवरणी का संधारण एवं रैयतों से स्वघोषणा एवं वंशावली की प्राप्ति। | 16 अगस्त 2024 से 15 सितम्बर 2024 |
| | 8 | ग्रामवार ग्राम सभा | 16 से 30 सितम्बर 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| किस्तवार | 9 | त्रिसीमाना एवं ग्राम–सीमा का निर्धारण | 01 से 31 अक्टूबर 2024 |
| | 10 | खेसरावार सत्यापन | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| खानापुरी | 11 | रैयतों से स्वामित्व संबंधी साक्ष्यों का संकलन एवं याददाश्त पंजी का संधारण। | 01 नवंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 |
| | 12 | खेसरा पंजी का संधारण एवं भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि | 16 जनवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 |
| | 13 | रैयतों के मध्य खानापुरी पर्चा का वितरण | |
| | 14 | रैयतों से खानापुरी पर्चा के विरूद्ध दावा/आपत्ति की प्राप्ति | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| सुनवाई (प्रथम प्रक्रम) | 15 | खानापुरी पर्चा के विरूद्ध प्राप्त दावा/आपत्ति का निपटारा | 16 फरवरी 2025 से 15 मार्च 2025 |
| | 16 | प्रथम विश्रांति | 16 से 22 मार्च 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन | 17 | प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन | 22 से 23 अप्रैल 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| सुनवाई (द्वितीय प्रक्रम) | 18 | प्रारूप अधिकार अभिलेख के विरूद्ध प्राप्त दावा/आपत्ति का निपटारा | 24 अप्रैल 2025 से 22 जून 2025 |
| | 19 | द्वितीय विश्रांति | 23 जून 2025 से 08 जुलाई 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| बन्दोबस्ती (लगान) | 20 | रैयतों के किस्म भूमि के अनुरूप बन्दोबस्ती (लगान) | 09 से 24 जुलाई 2025 |
| | 21 | बन्दोबस्ती के विरूद्ध दावा/आपत्ति का निपटारा | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन** | **22** | **अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन** | **25 जुलाई 2024 से 24 अगस्त 2025** |

D:\Sanjeev-2024\Mayur\Survey Calender Timeline\Work Plane_Training_Calender_15.07.2024.docx

Annex 'B'

Annex 'B'

## प्रपत्र–1
## (देखें नियम–4 का उप नियम–1)
## उद्घोषणा का प्रपत्र

**राजस्व ग्रामः–.................................. थाना नं0:–................................ अंचलः–.................................. जिलाः–.............................................**

के सभी भू–धारियों/लोक एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा एवं इसके भू–खंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भू–खण्ड में प्रवेश कर सकते है। आपको निदेशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भू–खण्डों की पैमाइश/जाँच पड़ताल करने तथा वृक्षों, जंगलो, खड़ी फसलों या ऐसी अन्य बाधाओं, जैसा भी आवश्यक हो, को हटाने अथवा काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उन्हें उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार का बाधा/अड़चन उत्पन्न न करें।

आपको यह भी निर्देशित दिया जाता है कि अपने भू–खण्डों की सीमाओं को भू–खण्डों के सभी मोड़ पर मिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकित कर लें।

तिथिः–

बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

**Annexure-C**

**आदेशफलक**

(अभिलेख हस्तक, 1960 का नियम 129)

**ग्राम अभिलेख**

आदेश पत्रक तारीख.....................से .......................तक

जिला ..................... अनुमण्डल.................... अंचल......................

मौजा का नाम.................. थाना सख्या............. शिविर का नाम.............

| आदेश की क्रम संख्या | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1<br>दिनांक ............ | बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 एवं बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 के नियम 4 उपनियम 1 के आलोक में बन्दोबस्त पदाधिकारी,..............द्वारा मौजा..................थाना संख्या.......... में भू–सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने के लिए उद्घोषणा किया गया। उद्घोषणा की प्रति सभी संबंधित विभागों, सभी जनप्रतिनिधियों एवं आम रैयतों को तामिला करायी जाए। तामिल प्रतिवेदन संलग्न करें।<br>वि0स0स0व0प0 | |
| 2<br>दिनांक ............ | बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम 2011 की धारा 7 एवं बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 के नियम 8 के अनुसार बन्दोबस्त पदाधिकारी...................... द्वारा पत्रांक................दिनांक........... .......से खानापुरी दलो का गठन किया गया। जिसमें निम्न सदस्य है।<br>1. श्री............................................. वि0स0स0व0प0<br>2. श्री.......................................... वि0स0कानूनगो<br>3. श्री.......................................... वि0स0 अमीन<br>वि0स0स0व0प0 | |
| 3<br>दिनांक.............. | श्री.................................. वि0स0 अमीन को निदेशित किया जाता है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा–6 (2) अंतर्गत ग्राम सभा मौजा..........थाना संख्या.........में आयोजन करने हेतु दिनांक ............को तिथि निश्चित किया जाता है सभी संबंधित विभागों, सभी जनप्रतिनिधियों एवं आम रैयतो को भाग लेने हेतु सूचित करें। भू–स्वामी/रैयत अपने द्वारा धारित भूमि से संबंधित (स्वघोषणा) प्रपत्र–2 एवं वंशावली प्रपत्र 3(1) शिविर में समर्पित करने हेतु ग्राम सभा में अनुरोध करें।<br>वि0स0स0व0प0 | |

| | | |
|---|---|---|
| 4<br>दिनांक............. | विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम 2011 की धारा–5 के उपधारा–1 अंतर्गत अमीन द्वारा वंशावली के सत्यापन, निर्माण एवं वि० सर्वे० कानूनगो के जाँच के पश्चात सत्यापन प्रमाण पत्र धारा–5 (2) के अनुसार राजस्व ग्राम..........................थाना सं0...................में ग्राम सभा का आयोजन कर, ग्राम सभा से अनुमोदन की कार्रवाई की जाय।<br><br>वि०स०स०व०प० | |
| 5<br>दिनांक............. | विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम 2011 की धारा–6 के उपधारा–1 एवं नियमावली, 2012 की नियम–7 की उपनियम–1 के अनुसार आधुनिक तकनीक से निर्मित मानचित्र...............हवाई सर्वेक्षण एजेन्सीं से प्राप्त।<br>श्री ..................................................विशेष सर्वेक्षण अमीन को निदेश दिया जाता है कि ग्राम का त्रिसिमाना का निर्धारण एवं ग्राम सीमा का सत्यापन कर लें। साथ ही मानचित्र के शत्–प्रतिशत भूखण्डों को जमीनी सत्यापन हेतु निदेशित किया जाता है।<br>श्री....................................................... विशेष सर्वेक्षण कानूनगो भी उक्त मौजा के 25% भूखण्डों का सत्यापन कर लें। संबंधित अमीन नियमावली के नियम–7 उपनियम–5 के अनुसार मानचित्र प्राप्ति के तिथि से 30 कार्य दिवसों में सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लें। साथ ही उक्त ग्राम का फिल्डबुक भी संधारित करे।<br><br>वि०स०स०व०प० | |
| 6<br>दिनांक............. | आधुनिक तकनीक से निर्मित मानचित्र का भौतिक सत्यापन किया गया है एवं सत्यापन पश्चात् पायी गयी त्रुटियों का सुधार लाल स्याही से कर दिया गया है, संबंधित विशेष सर्वेक्षण अमीन से फिल्डबुक प्राप्त कर ग्राम अभिलेख क साथ रखे। सत्यापित मानचित्र में वांछित त्रुटि–निराकरण के साथ पुनमुर्द्रण हेतु................ एजेन्सीं को भेजने के लिए सत्यापित मानचित्र को मुख्यालय भेजा जाए।<br><br>वि०स०स०व०प० | |

| | | |
|---|---|---|
| 7<br>दिनांक............ | ......................एजेन्सी द्वारा पुनमुर्द्रित मानचित्र दिनांक.......................को प्राप्त और विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली 2012 के नियम 7 (6) अंतर्गत ग्राम पंचायत के कार्यालय के साथ–साथ शिविर कार्यालय के सूचना पट्टों पर आम जनता हेतु उपदर्शित करें। श्री........... ............................विशेष सर्वेक्षण अमीन को राजस्व ग्राम...... ........थाना संख्या.................... का खानापुरी कार्य प्रारम्भ करने हेतु निदेश दिया जाता है।<br>विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली 2012 के नियम 9 उपनियम 3 (ख) के अनुसार रैयत की भूमि का विवरण (वैसे अभिलेख/दस्तावेज/साक्ष्य का उल्लेख करते हुए) वि0सर्वे0 अमीन, कानूनगो के माध्यम से आदेश प्राप्त कर याददास्त पंजी प्रपत्र 3(2) में दर्ज करें। साथ ही खेसरा पंजी (प्रपत्र 6) के सभी स्तम्भों में प्रविष्टि एवं भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के प्रपत्र 6 में भी प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।<br><br>वि0स0स0व0प0 | |
| 8<br>दिनांक............ | खानापुरी कार्य समाप्त हो चुका है, प्रपत्र 6 तैयार है। भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के प्रपत्र 6 में भी प्रविष्टि का जाँच मेरे द्वारा कर लिया गया है। ......................... एजेन्सी को खानापुरी मानचित्र मुद्रण हेतु उपलब्ध कराया गया। साथ ही बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली के नियम 9(6) के आलोक मे एजेन्सी को एल0पी0एम0 एवं खानापुरी पर्चा (प्रपत्र 7) के निर्माण हेतु निदेश दिया जाता है।<br><br>वि0स0स0व0प0 | |
| 9<br>दिनांक............ | खानापुरी पर्चा एवं एल0पी0एम0 की कम्प्यूटरीकरण प्रति एजेन्सी द्वारा प्राप्त हुआ है। खानापुरी पर्चा एवं एल0पी0एम0 सरकारी भूमि/लोक भूमि से संबंधित पदाधिकारियों (अंचल अधिकारी एवं संबंधित विभाग को) सहित भू–धारी/भू–स्वामी को वितरित करें।<br>विशेष सर्वेक्षण लिपिक को निदेश दिया गया कि नियमावली के नियम 9(9) के आलोक प्रपत्र 8 में दावा/आक्षेप रैयतों से प्राप्त करें और प्रपत्र 9 में प्राप्ति रसीद निर्गत करें साथ ही नियमावली के नियम 9(10) के अनुसार शिविर में प्राप्त किया गया दावा/आपत्ति को प्रपत्र 10 में एक पृथक पंजी भी संधारित करें।<br><br>वि0स0स0व0प0 | |

| | | |
|---|---|---|
| 10<br>दिनांक............ | खानपुरी पर्चा (प्रपत्र–7) एवं एल0पी0एम0 वितरण पश्चात् कुल..............आपत्ति/आपत्तियों प्राप्त हुआ। प्राप्त आपत्ति का निष्पादन किया गया और खेसरा पंजी (प्रपत्र 6) एवं मानचित्र में वि0 सर्वे0 कानूनगो के आदेशानुसार तरमीम किया गया।<br>नियमावली के नियम 11 (1) (क) के अनुसार खानापुरी कार्य से संबंधित यादास्त पंजी, खेसरा पंजी, सुनवाई से संबंधित अभिलेख एवं संशोधित मानचित्र का जाँच हेतु विश्रांति के प्रथम चरण के कार्य हेतु भेजे।<br><br>वि0स0स0व0प0 | |
| 11<br>दिनांक............ | खानापुरी पर्चा पर प्राप्त आपत्ति के निपटारा पश्चात् बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली के नियम 11 (1)(क) के अनुसार खानापुरी अभिलेख एवं संशोधित मानचित्र का जाँच हेतु विश्रान्ति में भेजे।<br><br>वि0स0स0व0प0 | |
| 12<br>दिनांक............ | विश्रान्ति से जाँच पश्चात् खानापुरी कार्य से संबंधित यादास्त पंजी, खेसरा पंजी, सुनवाई से संबंधित अभिलेख एवं संशोधित मानचित्र प्राप्त।<br>नियमावली के 11 (1) एवं (2) के अनुसार प्रपत्र 12 में प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रारूप तैयार करें।<br><br>वि0स0स0व0प0 | |
| 13<br>दिनांक............ | खानापुरी कार्य पश्चात् संशोधित मानचित्र एजेन्सी से प्राप्त। खानापुरी प्रचालन के दौरान प्राप्त दावों/आक्षेपों के संबंध में आदेशों को निर्गमित करते हुए नियमावली के नियम 11 (1) एवं (2) के अनुसार प्रपत्र 12 में खानापुरी अधिकार अभिलेख का प्रारूप तैयार करें।<br><br>वि0स0स0व0प0 | |

| | | |
|---|---|---|
| 14<br>दिनांक............ | बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली के नियम 12 के आलोक में मानचित्र सहित खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप लगातार 30 दिनों के अवधि के लिए दिनांक.....................से दिनांक....................तक निम्न स्थल पर प्रकाशित किया जाए और अधिकार अभिलेख प्रारूप की प्रविष्टियों के विरूद्ध दावा/आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रपत्र 13 में आम सूचना निर्गत करें।<br>(1) सर्वेक्षण शिविर में<br>(2) राजस्व ग्राम क सार्वजनिक स्थल पर<br>(3) ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पट पर<br>(4) अंचल कार्यालय के सूचना पट पर<br>विशेष सर्वेक्षण लिपिक को निदेश दिया जाता है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली के नियम 13(3) (4) एवं (5) का अनुपालन करते हुए प्रपत्र 14 में दावा/आक्षेप प्राप्त करें। प्रपत्र 15 के पंजी में दावा/आपत्ति का संधारण करते हुए आपत्तिकर्त्ता को प्रपत्र–16 में पावती निर्गत करें।<br><br>वि0स0स0व0प0 | |
| 15<br>दिनांक......... | बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली 2012 के नियम 13(4) के आलोक में भू–स्वामी/भू–धारी अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/लोक प्रतिष्ठान /स्थानीय निकाय के संबंधित कार्यालयों के प्रतिनिधियों सहित भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति से प्रपत्र 14 में कुल–.......................आपत्तियाँ/दावों प्राप्त हुआ है और संक्षिप्त रीति से निपटारा कर लिया गया है।<br><br>वि0स0स0व0प0 | |
| 16<br>दिनांक.............. | विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली 2012 के नियम 14 (1)(2) एवं (3) के अनुसार विश्रान्ति के द्वितीय चरण के कार्य के लिए खेसरा पंजी, प्रपत्र 8 एवं 14 के विरूद्ध प्राप्त आपत्ति निष्पादित अभिलेख एवं मानचित्र विश्रान्ति की द्वितीय चरण के लिए जिला बन्दोबस्त कार्यालय को भेजे।<br><br>वि0स0स0व0प0 | |

| | | |
|---|---|---|
| 17<br>दिनांक............ | विश्रान्ति प्रशाखा से जाँचोपरान्त प्राप्त अभिलेख के अधिकार पर भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रपत्र 18 में नया अधिकार अभिलेख एवं प्रपत्र 19 में नये खेसरा पंजी तैयार किया जाय।<br>साथ प्रपत्र 18 (क) में प्रत्येक रैयतवार बन्दोबस्ती लगान तालिका तैयार करने हेतु वि० सर्वे० अमीन को निदेशित किया जाता है।<br>वि०स०स०व०प० | |
| 18<br>दिनांक............ | प्रपत्र 18 (क) में तैयार बन्दोबस्ती लगान दर तालिका का प्रारूप प्रकाशन दिनांक..................से दिनांक..... .....................तक 15 दिनों के लिए प्रकाशित किया जाता है।<br>वि०स०स०व०प० | |
| 19<br>दिनांक............. | लगान दर तालिका के प्रारूप प्रकाशन पश्चात् कुल..................आपत्ति प्राप्त हुआ और निपटारा कर दी गई। तत्पश्चात् लगान दर तालिका संपुष्टि हेतु प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त को भेजे।<br>वि०स०स०व०प० | |

Annex 'D'

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सु र विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिम.प निदेशालय)

संख्या – 17 कम्प्यू0 (उ0स0) – 223/2016.....759

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/
प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :– 16-05-2019

विषय :– विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्वामित्व की एवं विभिन्न उद्देश्यों से अर्जित भूमि का विवरण/ब्योरा संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराने एवं उसका नामान्तरण कराने के संबंध में।

प्रसंग :– निदेशालय का पत्रांक–291 दिनांक 21.02.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ किया जाए। प्रासंगिक पत्र के द्वारा अनुरोध किया गया था कि विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकार अभिलेखों (RoR) को अद्यतन करने के उद्देश्य से विभागों द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि तथा विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति हेतु अर्जित भूमि/जमीन का विवरण/ब्योरा संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाए तथा ऐसी सभी भूमि का नामांतरण भी करा लिया जाए, ताकि अधिकार अभिलेखों (RoR) के निर्माण/अद्यतीकरण के क्रम में संबंधित विभाग का नाम प्रदर्शित किया जा सके।

इस संबंध में यह भी कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 तथा इस पर आधारित तकनीकी मार्गदर्शिका के आलोक में बिहार राज्य के जिलों यथा सीतामढ़ी, बांका, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, अरवल, जमुई, जहानाबाद, मुंगेर, सुपौल, किशनगंज, लखीसराय, बेगूसराय एवं पश्चिमी चंपारण में प्रथम चरण में सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य माह अक्टूबर – नवंबर, 2019 से प्रारंभ करने की योजना है।

उक्त सर्वेक्षण/बंदोबस्ती के क्रम में सरकारी/लोक भूमि के संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि संबंधित विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण शिविर को उक्त भूमि की विवरणी/सूचना उपलब्ध रहे ताकि खानापुरी एवं प्रारूप प्रकाशन के समय से ही सरकारी भूमि की पहचान सुनिश्चित किया जा सके।

इस संबंध में उल्लेखित करना है कि विभिन्न विभागों के सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के संदर्भ में राजस्व विभागीय पत्रांक 06/खा0म0 (विविध) अतिक्रमण–01–17 – 67 (6)/रा0 दिनांक–08.02.2017 द्वारा विभिन्न विभागों के भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु, बिहार राज्य के सभी समाहर्त्ता को निदेश निर्गत करते हुए, पत्र की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु विभागीय सचिवों/प्रधान सचिवों को भी प्रेषित किया गया था। आशा है कि उक्त पत्र के आलोक में सभी विभागों द्वारा भी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को यथोचित निदेश निर्गत किया गया होगा।

विभाग स्तर से सभी समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी को भी निदेशित किया जा रहा है कि सरकारी/लोक भूमि यथा गैरमजरूआ आम (अनाबाद सर्वसाधारण), गैरमजरूआ मालिक/खास (अनाबाद बिहार सरकार) खासमहल, भू–दान में अर्जित भूमि, भू–हदबंदी अधिनियम अंतर्गत अर्जित भूमि, कैसरेहिन्द, विभिन्न सरकारी विभागों की भूमि, केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की भूमि, बोर्ड, निगमों एवं उपक्रमों की

भूमि, पंचायती राज एवं नगर निकायों की भूमि, नहर, पाईन, वन एवं सैरात की भूमि सहित अन्य सभी सरकारी भूमि की सूची अविलम्ब तैयार कर ली जाय। साथ ही यदि उक्त भूमि पर अतिक्रमण हो तो विधिवत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी ससमय संपन्न कर लिया जाय।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि - (1) अपने विभागीय सभी क्षेत्रिय कार्यालयों एवं उपक्रमों को निदेशित किया जाय कि वे अपने स्तर से अपने विभागीय भूमि की सूची संबंधित विशेष सर्वेक्षण सहायक बदोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि सरकार का हित अक्षुण्ण रखा जा सके।

(2) राजस्व विभागीय पत्रांक- 06/खा0म0 (विविध) अतिक्रमण-01-17 - 87 (6)/रा0 दिनांक-08.02.2017 के क्रम में अपने क्षेत्रिय पदाधिकारियों को निदेशित करने का कष्ट किया जाय कि वे जिला के समाहर्त्ता एवं संबंधित अंचलाधिकारियों को उक्त विभागीय पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में अतिक्रमित भूमि के संबंध में सूचना देते हुए, अतिक्रमण हटाने की अधियाचना अविलब सौंपे, ताकि ससमय अतिक्रमण हटाते हुए सरकारी भूमि का इन्दाज, तैयार किये जा रहे अभिलेख में अंकित हो सके।

(3) इस संदर्भ में यह भी उल्लेखित करना है कि विशेष सर्वेक्षण शिविरों को दिये जा रहे सरकारी भूमि की सूचना, निदेशालय स्तर पर सरकारी भूमि के लिए बने E-mail ID- govtlandbihar@gmail.com पर भी संसूचित किया जाय।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 7/5
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक: - 17 कम्प्यू0 (उ0स0) - 223/2016 759 पटना, दिनांक :- 16-05-2019

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 7/5
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक: - 17 कम्प्यू0 (उ0स0) - 223/2016 759 पटना, दिनांक :- 16-05-2019

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलिय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता, बिहार/अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 7/5
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक: - 17 कम्प्यू0 (उ0स0) - 223/2016 759 पटना, दिनांक :- 16-05-19

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 7/5
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

**बिहार सरकार**
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**
**(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)**
संख्या :– 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95 / 2019 11089

प्रेषक,

**विवेक कुमार सिंह,** भा०प्र०से०
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

**समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,**
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद,अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प० चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक :– 27-10-2020

विषय :– सरकारी / लोक भूमि की सूची तैयार करने एवं जिला बंदोबस्त कार्यालय / संबंधित शिविर के विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:– निदेशालय का पत्र संख्या– 17–सरकारी भूमि अनुरक्षण कोषांग– 95 / 2019– 716 दिनांक– 06.05.2019, पत्र संख्या–17– सरकारी भूमि अनुरक्षण कोषांग– 95 / 2019 1315 दिनांक 05.08.2019 एवं पत्र संख्या–17– वि० सर्वेक्षण (नोडल पदा०)– 101 / 2019 408 दिनांक 28.02.2020 का कंडिका–7

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा दिये गये निदेशों का कृपया स्मरण किया जाय। इस क्रम में संसूचित किया गया है कि जिला के बन्दोबस्त कार्यालयों को अंचलाधिकारी एवं अन्य केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों / उपक्रमों / बोर्डो द्वारा सरकारी / लोक भूमि की सूची उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। राजस्व विभाग के विभिन्न पत्रों द्वारा सरकारी / लोक भूमि के संरक्षण एवं अतिक्रमण मुक्त करने हेतु निदेश दिये गये है। साथ ही सरकारी भूमि की विवरणी जिला, अनुमंडल, अंचल एवं हल्कावार पंजी में संधारित रखने के संबंध में भी पूर्व में निदेश निर्गत किये गये है।

आपके जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ है। इस आलोक में सरकारी / लोक भूमि के संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण शिविर को उक्त भूमि की विवरणी उपलब्ध रहे ताकि खानापुरी एवं प्रारूप प्रकाशन के समय से ही सरकारी भूमि की पहचान सुनिश्चित रह सके।

उक्त के आलोक में पुनः अनुरोध है कि –

(1) अंचलाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि सरकारी / लोक भूमि की विवरणी विहित प्रपत्र में अविलंब तैयार कर ले। विहित प्रपत्र का प्रारूप पत्र के निम्न भाग में दिया जा रहा है।

(2) सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि वे उक्त प्रपत्र में तैयार सरकारी / लोक भूमि की विवरणी संबंधित विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध करायें।

(3) अपने क्षेत्र अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों / उपक्रमों / बोर्डो के पदाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि वे अपने स्तर से अपने क्षेत्राधिकार की सरकारी भूमि की विवरणी तैयार कर जिला बन्दोबस्त कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली के नियम–3(1) एवं नियम–4(1) के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों सहित भूमि के भू–स्वामियों / हित रखने वालों को अधिसूचना एवं अधिघोषणा अंतर्गत संसूचित किया जाना आवश्यक है।

(4) सभी अंचलाधिकारियों / केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों / उपक्रमों / बोर्डो के नोडल पदाधिकारियों से इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्राप्त कर लिया जाय कि उनके द्वारा सभी सरकारी / लोक भूमि की विवरणी उपलब्ध करा दी गई है और इसके अतिरिक्त कोई सरकारी भूमि / लोक भूमि उनके अधिकार क्षेत्र अंतर्गत नहीं है।

(5) सरकारी भूमि के संरक्षण एवं अनुरक्षण के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक– 247 दिनांक– 20.03.2020 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना भी सुनिश्चित किया जाय।

कृ०पृ०उ०

(6) विहित प्रपत्र निम्न प्रकार है:–

प्रपत्र

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान/स्थानीय निकाय की भूमि की विवरणी।

जिला का नाम:–
विभागीय कार्यालय/संस्थान का नाम :–

| क्र0 सं0 | अंचल का नाम | राजस्व ग्राम का नाम (जहाँ भूमि अवस्थित है) | थाना संख्या | खाता संख्या | खेसरा संख्या | रकबा | भूमि पर दावा का आधार (दान/भू–अर्जन/अंतरण/अन्य) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

नोट:– प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरणी में अंकित सरकारी/लोक भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य भूमि हमारे क्षेत्रांतर्गत/विभाग अंतर्गत नहीं है।

हस्ताक्षर
अंचलाधिकारी/संबंधित विभाग के नोडल पदाधिकारी

(7) साथ ही निदेश है कि प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को निम्न प्रपत्र में जिन सरकारी विभागों/उपक्रमों/बोर्डो से भूमि की विवरणी प्राप्त हो जाये, उसके प्राप्त होने अथवा अप्राप्त होने का प्रतिवेदन निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप को उनके ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे:–

सरकारी भूमि की विवरणी प्राप्त करने के संबंध में अनुश्रवण हेतु प्रपत्र।

| जिला का नाम / विभाग/उपक्रम/बोर्ड का नाम | | |
|---|---|---|
| | प्राप्त | अप्राप्त |
| | | |

(8) जिला पदाधिकारी जिले में पदस्थापित केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों/उपक्रमों/बोर्डो के पदाधिकारियों में से प्रत्येक विभाग हेतु अलग–अलग किसी पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में घोषित करेंगे, जो जिला बन्दोबस्त कार्यालय/संबंधित विशेष सर्वेक्षण शिविर के सतत् संपर्क में रह कर सरकार का हित अक्षुण्ण रखेंगे।

विश्वासभाजन
(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019..11089 पटना, दिनांक :– 27-10-2020

प्रतिलिपि:– सभी प्रमंडलीय आयुक्त (सारण प्रमंडल को छोड़कर) को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019..11089 पटना, दिनांक :– 27-10-2020

प्रतिलिपि :– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिलों के लिए प्राधिकृत सभी वरीय नोडल पदाधिकारी/निदेशालय के स्तर से जिलों के लिए प्राधिकृत सभी नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

D:\Sanjeev-2020\Assistant Director sir\PS Letter\File No.-95 2019 12.10.2020.doc

**ज्ञापांक** :- 17-सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)-95/2019 1089 **पटना, दिनांक** :- 27-10-2020

**प्रतिलिपि** :-सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग